राजस्थान सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएँ
(महिला एवं बाल विकास विभाग)

क्रमॉकः प. 26( )( )आईईसी/आईसीडीएस/2016 /80145-80177 जयपुर, दिनॉकः 15-6-2016

जिला कलेक्टर,
समस्त।

विषयः ऑगनबाडी केन्द्रों पर "खिलौना बैंक" की स्थापना करवाने के संबंध में।

ऑगनबाडी केन्द्रों पर 03–06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे शाला पूर्व शिक्षा प्राप्त करते है। ऑगनबाडी केन्द्रों पर आने वाले बच्चों के लिए ऑगनबाडी केन्द्रों पर जन–सहभागिता से खिलौने उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाना है ताकि खिलौनों के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकें। इस हेतु दिनॉक 16 से 30 जून, 2016 तक विशेष अभियान चलाया जाना है एवं 1 जुलाई, 2016 को खिलौना बैंक का शुभारम्भ करवाया जाना है।

1. "खिलौना बैंक" स्थापना की फील्ड में तैयारी

- दिनॉक 16 से 30 जून, 2016 तक ऑगनबाडी कार्यकर्ता, सहायिका एवं आशा–सहयोगिनी अपने केन्द्र के अधीन आने वाले क्षेत्र में गृह सम्पर्क करेंगी और गृह सम्पर्क के दौरान क्षेत्रवासियों को ऑगनबाडी केन्द्र पर स्थापित होने वाले "खिलौना बैंक" की 1 जुलाई, 2016 से प्रारम्भ होने की जानकारी देगी।
- वह उन क्षेत्रवासियों से, जिनके बच्चे अब बड़े हो गए है और उनके खिलौने जो अब उपयोगी नहीं रहे है, को ऑगनबाडी केन्द्र के छोटे बच्चों के लिए उपलब्ध करवाने के लिए अनुरोध करेगी। इन खिलौनों से जहां एक ओर ऑगनबाडी के बच्चों का मनोरंजन होगा, वही खिलौने उनके शारीरिक, मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास में सहायक होंगे। इन खिलौनों के माध्यम से बच्चे अनेक प्रकार की गतिविधियां सीख सकेंगें।
- एकत्र किये जाने वाले खिलौनों के संदर्भ में यह ध्यान रखा जाना है कि खिलौने टूटे–फूटे नहीं हों और किसी प्रकार से बच्चों के लिए हानिकारक (जैसे नुकिले, अत्यधिक छोटे जो बच्चों के द्वारा निगले जा सके, आदि) नहीं हो।
- प्रत्येक केन्द्र पर कार्यकर्ता, सहायिका एवं आशा–सहयोगिनी द्वारा लगभग 10 से 20 खिलौने एकत्र किये जाने है। अतः गृह सम्पर्क के दौरान खिलौने भेंट करने वाले लोगों की सूची तैयार कर दिनॉक 30 जून, 2016 तक उनसे खिलौने एकत्र कर सूची बनाकर प्राप्त खिलौनें ऑगनबाडी केन्द्र पर जमा करेगी। साथ ही खिलौने भेंट करने वालों को 01 जुलाई, 2016 को प्रातः 9.00 बजे ऑगनबाडी केन्द्र पर आने के लिए आमंत्रित करेगी।
- इसके साथ स्थानीय जन–प्रतिनिधियों, अधिकारियों, अभिभावकों, बच्चों आदि को 1 जुलाई 2016 को समारोह में आने हेतु आमंत्रित किया जाना है।

2. ऑगनबाडी केन्द्रों पर आयोजित "खिलौना बैंक" शुभारम्भ कार्यक्रम के दौरान की जाने वाली गतिविधियां

- समारोह में क्षेत्रवासियों के साथ–साथ स्थानीय जन–प्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी, जिला प्रशासन के प्रतिनिधि अधिकारी, पंचायतीराज के प्रतिनिधि, सहयोगी स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, बच्चे एवं उनके अभिभावक आमंत्रित होंगे।
- दिनॉक 1 जुलाई 2016 को केन्द्र पर समारोह के रूप में खिलौने भेंट करने वाले लोगों से विधिवत् रूप से खिलौने वितरण का कार्य संपादित करवाया जायेगा। बाल विकास परियोजना

अधिकारी स्तर से जारी "धन्यवाद–पत्र" खिलौने भेंटकर्ता को महिला पर्यवेक्षक/सरपंच/कार्यकर्ता द्वारा भेंट किया जायेगा।

- 1 जुलाई, 2016 को सभी विभागीय अधिकारी एवं पर्यवेक्षक अधिक से अधिक ऑगनबाडी केन्द्र पर जाएँ और उनकी देखरेख में समारोह आयोजित किया जाए।

3. जिला प्रशासन से अपेक्षा

- उक्त कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की जाये, जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, उप खण्ड अधिकारी, ब्लॉक विकास अधिकारियों, बाल विकास परियोजना अधिकारियों, राजकीय एवं निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यो साथ क्षेत्र के प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं, प्रतिष्ठित क्लब जैसे रोटरी, लॉयन्स आदि के प्रतिनिधियों, दानदाताओं एवं सी.एस.आर. के तहत सहयोग करने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाये तथा उनके माध्यम से इस कार्य में सहयोग के लिए प्रयास करावें।
- बैठक में बाल विकास परियोजना अधिकारियों को कार्य योजना (micro plan) के साथ बुलवाया जाये।
- कार्यक्रम के पर्यवेक्षण हेतु जिला प्रशासन द्वारा जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में उप खण्ड अधिकारी, ब्लॉक विकास अधिकारी एवं अन्य विभागों के अधिकारियों को नियुक्त किया जाए।
- जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर या उनके प्रतिनिधि भी कम से कम एक ऑगनबाडी केन्द्र पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रह कर मार्गदर्शन प्रदान करें।
- कार्यक्रम के आयोजन से पूर्व व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये तथा प्रेस–नोट जारी किया जाये।

(डॉ0 समित शर्मा)
निदेशक,
समेकित बाल विकास सेवाऐ,
राजस्थान, जयपुर

क्रमॉक: प. 26( )( )आईईसी/आईसीडीएस/2016/80178-80552 जयपुर, दिनॉक: 15.6.2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त।
4. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त।
5. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ, समस्त।
6. कम्प्यूटर प्रशाखा को वैब साईट पर अपलोड करने हेतु।
7. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(आई.सी.डी.एस.),
समेकित बाल विकास सेवाऐ,
राजस्थान, जयपुर